



2026:AHC:5274

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44722 सन् 2025

कनीज़

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: रियाज हुसैन, सईद सैफ उल्लाह, सुफिया सबा

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री रियाज हुसैन, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत आवेदन आवेदक कनीज़ की ओर से वाद अपराध संख्या 293 वर्ष 2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर, में विचारण की लम्बितता के दौरान जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। दो मामलों के आपराधिक इतिवृत्त को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या संयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी गिरोह की गतिविधियों में सहयोग या सहायता नहीं की है। उक्त प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिवृत्त नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने अथवा साक्षियों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 1.12.2025 से जेल में निरुद्ध है, वचन देता है कि यदि स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लम्बित मामलों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए विचारण का शीघ्र निस्तारण होने की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत का विरोध किया है, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

समस्त तथ्यों की समग्रता, साक्ष्य की प्रकृति एवं अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुणावगुणता पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उचित मामला पाता हूँ। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि उक्त वाद अपराध संख्या में आवेदक **कनीज़** को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलके तथा उसी राशि की दो विश्वसनीय जमानतों पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो, और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।
2. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
3. आवेदक (i) मामले के प्रारम्भ, (ii) आरोप विरचन, तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित किए जाने हेतु निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
4. आवेदक यह वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं माँगेगा।
5. आवेदक विचारण न्यायालय में नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक ही सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले की गुणावगुणता पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

08 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)